



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092022-239092
CG-DL-E-24092022-239092

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4314]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 23, 2022/आश्विन 1, 1944

No. 4314]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 23, 2022/ ASVINA 1, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2022

का.आ. 4503(अ).— भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 302(अ) तारीख 17.01.2022 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 24.01.2022, में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र राज्य में मुंबई – नागपूर-झारसुगुडा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के खंड मुंबई - नागपूर पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

मुम्बई – नागपूर – झारसुगुडा नैचुरल गैस पाइप लाइन

अनुभाग:- मुम्बई नागपूर

अनुसूची

राज्य- महाराष्ट्र

जिला	तहसील	गाँव का नाम	सर्व्हे नं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5		
ठाणे	शहापूर	हाल	112	00	40	30
			80	01	01	60
ठाणे	शहापूर	अंबर्जे	677	00	53	72
			477	00	00	96
			478	00	14	18
			482	00	11	35
			484	00	13	42
			486	00	57	05
			532	00	30	24
			485	00	00	03
ठाणे	शहापूर	खुताडी	36	01	51	23
			44	00	01	79
			45	00	06	57
			46	00	24	46
			47	00	06	98
			48	00	38	03
			49ब	00	00	11
ठाणे	शहापूर	सरलांबे	398	00	13	99
			396	00	99	01
			394	00	02	90
			395	00	21	71
			392	00	02	12
			391	00	02	01

			389	00	00	22
			387	00	65	44
			385	00	36	95
ठाणे	शहापूर	बिरवाडी	88	01	64	65
			85	00	25	35
			81	00	27	30
			80	00	43	42
			79	00	17	70
			119	00	01	89

[फा. सं. एल -14014/226/2021- जीपी-II (ई-41026)]

राकेश मिश्रा, अपर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th September, 2022

S.O. 4503(E).—Whereas by Notification of Government of India, in Ministry of Petroleum & Natural Gas vide S.O. No. 302 (E) dated 24.01.2022; issued under sub - section (1) of section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of right of users in land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated 24.01.2022, the Government of India declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Pipeline for transportation of natural gas through Mumbai–Nagpur–Jharsuguda (Section-Mumbai Nagpur) pipeline in the State of Maharashtra by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered of by the Competent Authority;

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section (6) of the said Act, submitted its report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section (6) of the said Act, the Government of India hereby declares that the Right of User in the said lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of powers conferred by sub section (4) of the Section (6) of the said Act, Government of India hereby directs the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

Mumbai-Nagpur-Jharsuguda Natural Gas Pipeline**Section: - Mumbai – Nagpur****SCHEDULE****State: - Maharashtra**

District	Tehsil	Village	Survey No.	Area		
				Hect.	Are	Sq. Mtr.
1	2	3	4	5		
THANE	SHAHAPUR	HAL	112	00	40	30
			80	01	01	60
THANE	SHAHAPUR	AMBARJE	677	00	53	72
			477	00	00	96
			478	00	14	18
			482	00	11	35
			484	00	13	42
			486	00	57	05
			532	00	30	24
			485	00	00	03
THANE	SHAHAPUR	KHUTADI	36	01	51	23
			44	00	01	79
			45	00	06	57
			46	00	24	46
			47	00	06	98
			48	00	38	03
			49B	00	00	11
THANE	SHAHAPUR	SARLAMBE	398	00	13	99
			396	00	99	01
			394	00	02	90
			395	00	21	71
			392	00	02	12
			391	00	02	01
			389	00	00	22
			387	00	65	44
			385	00	36	95
THANE	SHAHAPUR	BIRWADI	88	01	64	65
			85	00	25	35
			81	00	27	30
			80	00	43	42
			79	00	17	70
			119	00	01	89

[F. No. L-14014/ 226 /2021-GP- II (E-41026)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.